

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 मार्च 2022—फाल्गुन 17, शक 1943

#### आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2022

क्र.एफ-02-45-2009-1-उनसठ-आयुष.—मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 21, 22, 26 तथा 48 सहपठित धारा 51 की उपधारा (2) के खण्ड (ट), (ठ), (ण) तथा (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

(1) परिशिष्ट [नियम 4(3)] रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिए परिषद् को देय फीस के स्थान पर निम्न परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाए:—

#### परिशिष्ट

{नियम 4(3) देखिए}

#### रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिए परिषद् को देय फीस

अनुक्रमांक (1)	विशिष्टियाँ (2)	फीस की दर (3)	नियम क्रमांक (4)
01	पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र फीस	रु. 500/-	4(2)
02	विलंब पुनरीक्षण फीस	रु. 200/- प्रतिमाह अधिकतम रु. 1,000/- के अध्यधीन रहते हुए,	4(3)
03	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	4,500/-	6
04	धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रु. 3,500/-	7(1)

(1)	(2)	(3)	(4)
05	धारा 24 से धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विलंब फीस.	रु. 300/- प्रति मास रु. 1,500/- के अध्यक्षीन रहते हुए.	7(4)
06	अर्हता की अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए फीस	रु. 2,000/-	8
07	रजिस्ट्रीकरण की द्वितीय प्रति के लिए फीस	रु. 2,000/-	9
08	उपनाम या पते के परिवर्तन के लिए फीस	रु. 1,000/-	10
09	सत्यापन फीस	रु. 1,500/-	12
10	अपील फीस	रु. 1,000/-	14(ख)
11	नाम प्रत्यावर्तन फीस	रु. 1,500/-	4(4)
12	पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति की फीस	रु. 500/-	4(6)
13(1)	राज्य रजिस्टर की मुद्रित सूची	रु. 4,000/-	5(4)
13(2)	राज्य रजिस्टर की साफ्ट सूची	रु. 1,000/-	5(4)
14	परिषद् से पंजीकृत भारत से बाहर चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु पंजीयन का सत्यापन.	रु. 7,500/-	नयी कण्डिका

टिप्पण—विहित फीस, डाक प्रभार को अपवर्जित करके है जो परिषद् द्वारा कहे जाने पर पृथक से देय होगी.

No. F-02-45-2009-1-LIX-Ayush.—In exercise of the powers conferred by clause (k), (l), (o) and (p) of sub-section (2) of Section 51 read with Section 21, 22, 26 and 48 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 2009, namely:—

#### AMENDMENTS

(i) For The appendix [Rule 4(3)] Fees payable to the Council for registration and other matters, the following appendix shall be substituted, namely:—

#### Appendix

[See rule 4(3)]

#### Fees payable to the Council for registration and other matters

S. No. (1)	Particulars (2)	Rate of fee (3)	Rule No. (4)
1	Fee for Certificate of Revision	Rs. 500/-	4(2)
2	Late fee for Revision	Rs. 200/- per month subject to maximum of Rs. 1,000/-	4(3)
3	Registration fee u/s 22	Rs. 4,500/-	6
4	Registration fee u/s 24	Rs.. 3,500/-	7(1)

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Late fee for registration u/s 22 from section 24.	Rs. 300/- per month subject to maximum of Rs. 1,500/-	7(4)
6	Fee for additional entry of qualification	Rs. 2,000/-	8
7	Fee for duplicate copy of registration	Rs. 2,000/-	9
8	Fee for change of surname or address	Rs. 1,000/-	10
9	Verification fee	Rs. 1,500/-	12
10	Appeal fee	Rs. 1,000/-	14(b)
11	Fee for restoration of name	Rs. 1,500/-	4(4)
12	Fee for duplicate copy of certificate of revision.	Rs. 500/-	4(6)
13(1)	Printed list of State Register	Rs. 4,000/-	5(4)
13(2)	Soft Copy of State Register	Rs. 1,000/-	5(4)
14	Verification of registered practitioner of the Council for practice outside the Country.	Rs. 7,500/-	New Section

**Note**—The prescribed fees are excluding the postal charges which shall be payable separately if asked by the parishad.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज शर्मा, उपसचिव.